हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 दिंसबर, 2019

संख्या.2/1/2019–आर–II .– हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), की धारा 257 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) से (छ), उप–धारा (2), (4) तथा (7) तथा धारा 276 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 257 की उप–धारा(5) द्वारा यथापेक्षित ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से **दस दिन की अवधि की** समाप्ति पर या उसके पश्चात् सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, सहित जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खण्ड (ज) में, ''सदस्य '' शब्द के स्थान पर, ''अध्यक्ष तथा सदस्य'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 21 में,–

(i) विद्यमान उपान्तिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपान्तिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : –

'' **अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अयोग्यताएं** '' ;

(ii) उप–नियम (1) में, (क) ''सदस्य के रूप में'' शब्दों के स्थान पर ''अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ;

(ख) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

'' समिति और राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई भी पद धारण करे '' ;

(ग) खण्ड (त) के द्वितीय परन्तुक में, ''योग्यता पांचवी पास होगी'', शब्दों के स्थान पर, ''अध्यक्ष को छोडकर सदस्यों के लिए योग्यता पांचवी पास होगी'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ;

(iii) उप—नियम (4) में, ''चाहे कोई सदस्य हो'' शब्दों के स्थान पर, ''चाहे अध्यक्ष या कोई सदस्य हो'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 23 में,—

(i) उप—नियम (1) में, ''नगरपालिका की सदस्यता के लिये'' शब्दों के स्थान पर, ''अध्यक्ष या समिति की सदस्यता के लिये'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ii) उप—नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

'' (4) इस नियम की कोई भी बात किसी भी उम्मीदवार को उसी निर्वाचन—क्षेत्र में अध्यक्ष या सदस्य के निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामांकन पत्रों द्वारा नाम निर्देशित किए जाने से नही रोकेगी :

परन्तु उसी निर्वाचन क्षेत्र में अध्यक्ष या सदस्य के निर्वाचन हेतु किसी उम्मीदवार द्वारा या की ओर चार से अधिक नामांकन पत्र न तो प्रस्तुत किए जाएंगे या न ही रिटर्निग अधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, नियम 24 में,—

(i) उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

''(1) किसी उम्मीदवार के नामांकन पत्र को तब तक विधिवत् दिया गया नहीं समझा जायेगा, जब तक नियम 23 के अधीन उसे देते समय उम्मीदवार द्वारा नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई राशि या तो रिटर्निंग अधिकारी के पास नकद जमा नहीं करवा दी जाती अथवा जमा नहीं करवाता, अथवा नामांकन पत्र के साथ यह

दर्शाते हुये रसीद संलग्न नहीं करता है कि उक्त राशि सरकारी खजाने में जमा करवा दी है या उस दिन के बाजार मूल्य के बराबर सरकारी प्रनोट संलग्न नहीं करता :–

सारणी

समिति की श्रेणी	जमा की जाने वाली राशि			
	यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग का सदस्य अथवा महिला नहीं है		यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग का सदस्य अथवा महिला है	
	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य
नगरपरिषद्	₹3000	₹2000	₹1500	₹1000
नगरपालिका समिति	₹2000	₹1000	₹1000	₹500

परन्तु जहां किसी उम्मीदवार द्वारा उसी निर्वाचन–क्षेत्र में अध्यक्ष और सदस्य के लिये निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामांकन पत्र भरे गये हैं, तो इस उपनियम के अधीन उससे एक से अधिक बार राशि जमा करवाने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।'' ;

(ii) ''उप–नियम (4) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''परन्तु, यदि किसी उम्मीद्वार द्वारा एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में अध्यक्ष अथवा सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरे गये हैं, तो उस द्वारा या उसके निमित्त जमा करवाई गई राशियों में से एक से अधिक नहीं लौटाई जाएगी तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी।''।

6. उक्त नियमों में, नियम 31 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थात् :–

''31. **उम्मीदवार निर्वाचित समझा जायेगा यदि संख्या एक है,–** (1)यदि किसी निर्वाचन–क्षेत्र में अध्यक्ष या सदस्य के लिए केवल एक उम्मीदवार है, तो निर्वाचन अधिकारी रिक्ति को भरने के लिए ऐसे उम्मीदवार को विधिवत् निर्वाचित घोषित करेगा ।

(2) यदि कोई उम्मीदवार निर्वाचित नहीं किया जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त रिक्ति को भरने हेतु व्यक्तियों का चुनाव करवाने के लिए नियम 19 के अधीन नया निर्वाचन कार्यक्रम बनाएगा ।''।

7. उक्त नियमों में, नियम 32 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''32. **मतदान करवाया जाना, यदि उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक है .–** यदि किसी निर्वाचन–क्षेत्र में अध्यक्ष के लिए अथवा सदस्य के लिए निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है, तो मतदान करवाया जायेगा।''।

8. उक्त नियमों में, नियम 33 में, ''सदस्य'' शब्द के स्थान पर, ''अध्यक्ष या सदस्य'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

9. उक्त नियमों में, नियम 62 में, ''यदि उस निर्वाचन–क्षेत्र में कोई भी मतदान नए सिरे से करवाया जाना आवश्यक न हो'' शब्दों के स्थान पर, ''यदि अध्यक्ष और सदस्य के लिए उस निर्वाचन–क्षेत्र में कोई भी मतदान नए सिरे से करवाया जाना आवश्यक न हो'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

10. उक्त नियमों में, नियम 70 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

'' 70. **अध्यक्ष तथा सदस्यों के पद के लिए राजनिष्ठा की शपथ, और उप–अध्यक्ष के चुनाव के लिए समय सीमा–** (1) जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न करे, उपायुक्त या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी, समिति में चुने गये अध्यक्ष तथा सदस्यों के नामों की अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर, नव गठित समिति के निर्वाचित सदस्यों के सामान्य निवास स्थान पर अड़तालीस घण्टे का नोटिस भेजकर नियम 24 के अधीन राजनिष्ठा की शपथ हेतु प्रथम बैठक बुलायेगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा कि उपस्थित अध्यक्ष और सदस्यों को राजनिष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी।

(2) उपायुक्त या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी, उप–नियम (1) में निर्दिष्ट बैठकों के लिए तीस दिन की अवधि के भीतर, अध्यक्ष और सदस्यों को उनके सामान्य निवास स्थान पर अड़तालीस घण्टे का नोटिस भेजकर बैठक बुलायेगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा कि बैठक में शेष बचे सदस्यों को राजनिष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी और कि बैठक में उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। संयोजक, प्रथमतः शेष बचे सदस्यों को राजनिष्ठा की शपथ दिलाएगा और उसके बाद उपाध्यक्ष के चुनाव की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) यदि अध्यक्ष और सदस्य उप–नियम (2) के अधीन बुलाई गई बैठक में उपाध्यक्ष का चुनाव करने में असफल रहते हैं, तो उपायुक्त या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी, उप–नियम (2) में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर उपाध्यक्ष का चुनाव उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार करवाने के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक तब तक बुलाता रहेगा जब तक उपाध्यक्ष का चुनाव न हो जाये ।

(4) यदि अध्यक्ष और सदस्य उप–नियम (2) और (3) के अधीन बुलाई गई बैठकों में उपाध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के प्रकाशन के पांच मास की समाप्ति की अवधि तक करवाने में असफल रहते हैं, तो उपायुक्त या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी उपाध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए अध्यक्ष और सदस्यों को उनके सामान्य निवास स्थान पर अड़तालीस घण्टे का नोटिस भेजकर बैठक बुलायेगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा कि यदि अध्यक्ष और सदस्य चुनाव करने में असफल रहते हैं, तो समिति बिना किसी आगामी नोटिस या आदेश के भंग कर दी गई समझी जाएगी।

(5) अधिनियम या नियमों के प्रतिकूल किसी बात के होते हुये भी, यदि अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष तथा सदस्यों के चुनाव अधिसूचना की तिथि से छः मास की अवधि की समाप्ति तक उपरोक्त उपबन्धों के अधीन दी गई प्रक्रिया अपनाने के बाद बुलाई गई बैठक में उपाध्यक्ष का चुनाव करवाने में असफल रहते हैं, तो समिति

अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी भी प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना तुरन्त प्रभाव से भंग समझी जाएगी :

परन्तु ऐसी बैठकों को समिति की वैध रूप से बुलाई गई बैठकें समझा जाएगा।

(6) धारा 31 के अधीन किसी भी उप–नियम में दी गई किसी भी बात के होते हुये भी, राजनिष्ठा की शपथ दिलाए जाने और उपाध्यक्ष के चुनाव को बैठकों में कार्यवृतों में कार्यवाहियों के भाग के रूप में अभिलिखित किया जाएगा।''।

11. उक्त नियमों में, नियम 70 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :–

'' **70 क. अध्यक्ष के पद का आरक्षण.–** नगरपालिकाओं में अध्यक्ष का पद सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों तथा महिलाओं में से निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चक्रानुक्रम द्वारा भरा जाएगा जो निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :–

(i) राज्य में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या, ऐसे अनुपात में होगी जो राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के समान नगरपालिकाओं के ऐसे पदों की कुल संख्या के समान अनुपात में हो ;

(ii) नगरपालिकाओं में अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण अलग–अलग नगरपालिकाओं में बारी–बारी से होगा, जो निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और सम्बन्धित जिलों के उपायुक्तों या उनके नाम निर्देशितियों से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा अवधारित किया जायेगा, तथा

(iii) अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये अध्यक्ष के पदों की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर अवधारित की जायेगी और प्रथमतः अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या वाली विभिन्न नगरपालिकाओं, द्वितीयतः पिछड़े वर्गों की अधिकतम जनसंख्या वाली शेष नगरपालिकाओं में बारी–बारी से होगी तथा इस तरह उनकी अगली अधिकतम जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के पदों

की पश्चात्‌वर्ती अवधि में बारी–बारी से होगी। यदि दो नगरपालिकाओं या नगर परिषदों की जनसंख्या की प्रतिशतता पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में एक समान है, तो आरक्षण, उपरोक्त खण्ड (ii) में निर्दिष्ट समिति द्वारा संचालित किए जाने वाले ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा अवधारित किया जाएगा।''

12. उक्त नियमों में, नियम 71 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌ :–

''**मतपत्र का लिया जाना और उसके बाद परिणाम** .– (1) यदि उपाध्यक्ष के पद के लिए केवल एक उम्मीदवार का प्रस्ताव किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार को विधिवत्‌ निर्वाचित घोषित किया जाएगा । यदि प्रस्तावित उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है, तो मतदान, बैलेट पेपर या इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन द्वारा होगा। अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया जाए या तो बैलेट पेपर में तीर क्रास मार्क रबर मोहर लगाकर या इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान करना अपेक्षित होगा। अधिकतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जायेगा। ऐसे मतदान के लिए विशेष मतपत्र का प्रयोग किया जाएगा और उसमें उपायुक्त द्वारा उस पर लगाया हुआ अधिकारिक चिह्न होगा।

(2) ऐसे मतदान के लिए प्रयुक्त सभी बैलेट पेपर मतगणना के पूरा होने के तुरंत बाद स्टाउट लिफाफे में बंद किये जायेंगे और अधिकारी जो अध्यक्ष सहित मौजूदा सदस्यों को ध्यान में रखते हुये बैठक की अध्यक्षता करता है द्वारा सीलबद्ध किया जाएगा तथा चुनाव का विवरण सम्बन्धित मतपत्रों को अंकित किया जाएगा और ऐसे लिफाफे को एक अन्य बड़े लिफाफे में बंद किया जाएगा और उपायुक्त को दिया जाएगा। उपायुक्त चुनाव की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति तक आंतरिक लिफाफे को बरकरार रखेगा और उसके बाद राज्य सरकार, सक्षम न्यायालय या इन नियमों के भाग V के अधीन किसी चुनाव की जांच के लिए नियुक्त किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रतिकुल निर्देशों के अधीन रहते हुये इसके विषय वस्तु को नष्ट करवाएगा।''

13. उक्त नियमों में, नियम 72 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''72. **मतों की समानता की दशा में प्रक्रिया.**– यदि दो या अधिक उम्मीदवार मतों की समान संख्या प्राप्त करते हैं तथा यह कि मतों का परिवर्धन उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए किसी भी उम्मीदवार को अधिकृत करेगा, तब बैठक की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उम्मीदवारों की उपस्थिति में किए जाने वाले ड्रा ऑफ लाटस द्वारा लड़ने वाले उम्मीदवारों के मध्य विनिश्चय करेगा, तथा उम्मीदवार, जिसके पक्ष में ड्रॉ ऑफ लाट्स होगा, को चुना गया समझा जाएगा। ''।

14. उक्त नियमों में, नियम 72 क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''72 क. **उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव.**–(1) समिति के उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव, उपायुक्त को सम्बोधित लिखित माँग जो समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से हस्ताक्षरित हो, के माध्यम से लाया जा सकता है :

परन्तु अध्यक्ष सहित सदस्य जिनके द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाया गया है, प्रयोजन हेतु बुलाई गई बैठक से पूर्व इस प्रस्ताव को वापिस ले सकते हैं।

व्याख्या :– इस नियम के अधीन किसी भी अंश को पूर्ण रूप में लिया जाएगा ।

(2) उपायुक्त या उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा कोई अधिकारी जो सहायक आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो, अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य को उनके उपयोग के लिए माँग की प्रति वितरित करेगा ।

(3) उपायुक्त या उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा कोई अधिकारी जो अतिरिक्त सहायक आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो, ऐसा नोटिस जो पंद्रह दिन से कम का न हो, देकर उपनियम (1) में निर्दिष्ट अविश्वास प्रस्ताव में विचारण के लिए विशेष बैठक बुलाएगा, और ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा :

''परन्तु प्रयोजन के लिए कोई भी ऐसी बैठक ऐसी तिथि जिसको उपाध्यक्ष का निर्वाचन अधिसूचित किया गया था, से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व नहीं बुलाई जायेगी, तथा ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद जब भी ऐसी बैठक उसकी पदावधि के दौरान बुलाई जाती है तथा पद खाली करने के लिए प्रस्ताव असफल हो जाता है, तो उसके बाद कोई भी बैठक किसी भी समय उपाध्यक्ष के विरूद्ध समरूप प्रस्ताव विचारने के लिए तब तक नहीं बुलाई जाएगी जब तक अन्तिम असफलता तथा तिथि जिसको ऐसी आगामी बैठक बुलाई गई है, के बीच कम से कम छः मास की अवधि का अन्तराल न हो''।

(4) यदि समिति के अध्यक्ष सहित सदस्य के कम से कम दो तिहाई सदस्य के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता हैं, तो उपाध्यक्ष, द्वारा उसके पद को रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा ।

15. उक्त नियमों में, नियम 72 ख में, ''अध्यक्ष अथवा'', शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

16. उक्त नियमों में, नियम 74 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'' 74 अध्यक्ष या सदस्य का कोई भी निर्वाचन, इन नियमों के अनुसरण में प्रस्तुत की गई किसी निर्वाचन याचिका के सिवाय प्रश्नगत नही होगा। ''।

17. उक्त नियमों में, नियम 75 मे, ''अध्यक्ष या'', शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

18. उक्त नियमों में, विद्यमान प्ररूप 1, 1–ग, 1–घ, 2, 2क, 2ख, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

प्ररूप 1

[देखिए नियम 23(2)]

नामांकन पत्र

मैं, उम्मीदवार को नगरपालिका/नगरपरिषद .... के अध्यक्ष के चुनाव अथवा नगरपालिका/नगरपरिषद ....की वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र संख्या ——————————————— से सदस्य के चुनाव के रूप मे नामजद करता हूं।

उम्मीदवार का नाम ————————————————————————————————

डाक पता ———————————————————————————————————

उम्मीदवार का नाम नगरपालिका/नगरपरिषद् ———————————— के वार्ड /निर्वाचन क्षेत्र संख्या—————————— की मतदाता सूची में क्रम संख्या ——————————————————— पर दर्ज है।

मेरा नाम ————————————— है तथा यह नगरपालिका/नगरपरिषद् ————————————— की वार्ड संख्या.————————— की मतदाता सूची में क्रम संख्या ——————————— पर दर्ज है।

तिथि : ————————————— (प्रस्तावक के हस्ताक्षर)

मैं, उपर वर्णित उम्मीदवार, इस नामांकन से सहमत हूं तथा एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं ——————————————————————

(क) कि मैंने ——————————————————— वर्ष की आयु पूरी कर ली है,

(ख) कि मुझे ——————————————————— पार्टी द्वारा इस चुनाव के लिए खड़ा किया गया है।

(ग) कि जो निशान मैने चुने हैं अधिमान्यता के क्रम से इस प्रकार हैं :—

(i) ————————————————————————

(ii) ———————————————————————— ; तथा

(iii) ————————————————————————

*मैं आगे यह घोषणा करता हूं कि मैं ———————————————————————जाति/वर्ग का सदस्य हूं जो ————————————————————राज्य के ———————————————————— (क्षेत्र) से अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित है तथा जिसके लिए स्थान इस प्रकार आरक्षित किया गया है।

**मैं यह और घोषणा करती हूं कि मैं एक महिला उम्मीदवार हूं जिसके लिए यह सीट ऐसे रूप में आरक्षित की गई है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(** जो यदि लागू ना हो उसे काट दें)

मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन

उपर्युक्त घोषणा ———————————— द्वारा सत्यनिष्ठा से मेरे सामने की गई है, उसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ अथवा उसकी पहचान मेरी संतुष्टि के अनुसार की गई है।

स्थान ——————————— सत्यापन प्राधिकारी के पूरे

तिथि ——————————— पदनाम सहित हस्ताक्षर

(रिटरर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

नामांकन पत्र की क्रम संख्या ——————————————

यह नामांकन मुझे मेरे कार्यालय में ——————————————————— (तिथि) को समय ————————————————— (बजे) दिया गया।

रिटर्निंग अधिकारी

नामांकन पत्र स्वीकार करने या अस्वीकार करने वाले रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय

मैंने हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 27 के अनुसार इस नामांकन पत्र की जांच की है तथा निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है :–

——

तिथिः ——————————— रिटर्निंग अधिकारी

उम्मीदवार को दिया गया निशान ———————————————————— है।

तिथि :——————————— रिटर्निंग अधिकारी

नामांकन पत्र की रसीद तथा संवीक्षा के लिए नोटिस

(नामांकन पत्र देने वाले व्यक्ति को दी जाए)

नामांकन पत्र की क्रम संख्या ————————————————————

नगरपालिका/नगरपरिषद् —————— से अध्यक्ष के चुनाव अथवा नगरपालिका/नगरपरिषद् ———————————— की वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र संख्या —————— से सदस्य के चुनाव के लिये उम्मीदवार का नामांकन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में ——————————— (बजे) —————— (दिनांक) को उम्मीदवार/प्रस्तावक द्वारा दिया गया। सभी नामांकन पत्रों की संवीक्षा ———————————(बजे) —————— (दिनांक) —————— (स्थान) पर की जायेगी।

तिथि :——————————— **रिटर्निंग अधिकारी**

प्ररूप 1—ग

[देखिए नियम 23क]

कृपया अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहां चिपकाएं

नगरपालिका/नगरपरिषद् .... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/नगरपरिषद् ....की वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र संख्या........................... से सदस्य के चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र सहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ—पत्र।

भाग — क

मैं ....**पुत्र/पुत्री/पत्नी ....आयु............वर्ष, जो...........(पूरा डाक पता दर्शायें) का/की निवासी हूं उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता/करती हूं:—

(1) मैं ....;..........................(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम...........................(नगरपरिषद/समिति का नाम), में भाग संख्या ....में क्रम संख्या ....पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन संख्या/ संख्याएं ....है/हैं और मेरा ई—मेल आईडी (यदि कोई हो)...है

(4) स्थाई लेखा संख्या (पैन) के ब्यौरे और आयकर विवरणी दायर करने की स्थिति :—

क्रम संख्या	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी दायर की गई है।	आयकर विवरणी में दर्शाई गई कुल आय (रूपए में)
1	स्वयं			
2	पति या पत्नी			
3	आश्रित—1			
4	आश्रित—2			
5	आश्रित—3			

(5) मैं किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/का अभियुक्त है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:—

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लम्बित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये हैं।

(क)	सम्बद्ध पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे सहित मामला/प्रथम सूचना रिपार्ट संख्या/संख्याए	
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये आरोपित किया गया है।	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तिथि	
(घ)	न्यायालय (न्यायालयों) जिसके (जिनकें) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई है।	
(ड.)	तिथि (तिथियों) जिसके आरोप विरचित किये गये थे	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही (कार्यवाहिया) किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं।	

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लम्बित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {उपरोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:—

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तिथि	
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	
(ग)	उपरोक्त आदेश (आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण (यदि कोई हों) के लिए दायर की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) के ब्यौरे	

(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 43) को धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) में आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया तथा दंडित किया गया है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और विधि न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे सम्बद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तिथि (तिथियां)	
(ग)	अधिरोपित दंड	
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील दायर की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान स्थिति।	

(7) कि मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (चल तथा अचल) आदि के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. चल आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणः 1.— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम से आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणः 2.— जमा/निवेश की दशा में, क्रम संख्या, राशि, जमा की तिथि, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पणीः 3.— सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में बंधपत्रों/शेयर डिवेचरों का मूल्य स्टाक एक्सचेजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पणीः 4.— यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 4) की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (v) में दिया गया है।

टिप्पणीः 5.— राशि सहित ब्यौरे प्रत्येक निवेश के सम्बन्ध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम संख्या	विवरण	स्वंय	पति या पत्नी	आश्रित—1	आश्रित—2	आश्रित—3
(i)	हाथ नकदी					
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा,					

	आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है) वित्तीय संस्थाओं, गैर–बैकिंग वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में राशि					
(iii)	कम्पनियों / पारस्परिक निधियों ओर अन्य में बंधपत्रों, डिबेचरों / शेयरों तथा यूनिटों में निवेश के ब्यौरे और राशि					
(iV)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में निवेश के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में निवेश और राशि					
(V)	किसी व्यक्ति या हस्ती जिसमें फर्म कम्पनी, न्यास आदि सम्मिलित हैं, को दिए गए वैयक्तिक ऋण / अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा राशि					
(vi)	मोटरयान / वायुयान / याट / पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और राशि)					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं)					

	(भार और मूल्य के ब्यौरे)					
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे दावों/हित का मूल्य					
(ix)	समग्र कुल मूल्य					

आ. <u>अचल आस्तियों के ब्यौरे :</u>

टिप्पणः 1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणः 2. प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमैंट का इस प्रारूप में वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम संख्या	विवरण	स्व यं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याए)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई सम्पति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित सम्पति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के					

	माध्यम से भूमि पर कोई निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) –अवस्थिति (अवस्थितियां) –सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं) क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश, अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित):– अवस्थिति (अवस्थितियां)–सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं) क्षेत्र					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय सम्पत्ति की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे संपति में हित)					
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य					

(8) मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :–

(टिप्पणः कृप्या बैंक, संस्था, हस्ती या व्यष्टियों के नाम और प्रत्येक मद के समक्ष राशि के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	**बैंक/वित्तीय संस्था** (संस्थाओं) को ऋण या देय बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया राशि,					
	ऋण की प्रकृति पूर्वोक्त वर्णित नाम (नामों) से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों/हस्ती को ऋण या देय					
	बकाया राशि, ऋण की प्रकृति कोई अन्य दायित्व दायित्वों का कुल योग					
(ii)	सरकारी देयः सरकारी आवास से सम्बन्धित विभागों को देय					
	जल आपूर्ति से सम्बन्धित विभागों को देय					
	विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित विभाग को देय					
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से सम्बन्धित विभाग को देय					
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हैलीकाप्टर सहित) से सम्बन्धित विभाग को देय					
	आय–कर देय					
	धनकर देय					

	सेवाकर देय					
	नगरपालिका / संपति कर देय					
	विक्रय कर देय					
	कोई अन्य देय					
(iii)	सभी सरकारी देयों का कुल योग					
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां, तो अतंवर्लित राशि और प्राधिकारी, जिसके समक्ष यह लंबित है, का वर्णन करें।					

(9) वृति या उपजीविका के ब्यौरेः

(क) स्वयं......................................

(ख) पति या पत्नी........................

(10) मेरी शैक्षणिक अर्हता नीचे दिए अनुसार हैः—

....

(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दें तथा विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग–ख

(11) भाग–क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का सार :

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / कु.
2.	डाक का पूरा पता	
3.	नगरपालिका समिति / परिषद् का नाम	
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	
5.	(i) लम्बित मामलों की कुल संख्या, जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये गये है,	
	(ii) मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपरोक्त मद (i) में उल्लेखित मामलों से भिन्न)	
6	कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया है तथा एक वर्ष या उससे अधिक के लिये कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), (2) या (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	

7.		——— की स्थायी लेखा संख्या (पैन)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी दायर की गई है	दर्शाई गई कुल आय
	अभ्यर्थी			
	पति या पत्नी			
	आश्रित			

8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित –3
क.	चल आस्तियां (कुल मूल्य)					
ख.	अचल					

		आस्ति					
	i	स्वार्जित अचल संपति की क्रय कीमत					
	ii	क्रय के पश्चात् अचल संपति की विकास/ संर्निमाण लागत (यदि लागू हो)					
	iii	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
		(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)					
9.		दायित्व					
	(i)	सरकारी देय (कुल)					
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है						
	(i)	सरकारी देय					
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता– (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठयक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठयक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)						

सत्यापन

मैं, उपरोक्त नामित अभिसाक्षी, इसके द्वारा, सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं

यह और भी घोषणा करता हूं कि :–

(क) मेरे विरूद्ध उपरोक्त भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लेखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला लंबित नहीं है;

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपरोक्त भाग क की मद 8 और 9 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लेखित कोई आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति नहीं है।

आज ....20..................के....................दिन को ....पर सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

....

टिप्पणः 1 शपथपत्र नामांकन पत्रों की जांच की तिथि वाले दिन दस बजे तक दायर किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 2 शपथपत्र पर किसी शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणः 3 सभी खानों को भरा जाना चाहिए और कोई खाना खाली न छोडें। यदि किसी मद के संबंध में प्रस्तुत करने के लिए कोई जानकारी नहीं है, तो या तो ''शून्य'' या ''लागू नहीं होता' या ''पता नहीं'', जैसी भी स्थिति हो, उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

प्ररूप 1—घ

[देखिए नियम 23क]

नगरपालिका/नगरपरिषद् .... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/नगरपरिषद् ....की वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र संख्या............................ से सदस्य के चुनाव के लिये रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र तथा प्ररूप 1—ग सहित, अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र/घोषणा।

मैं.......................................**पुत्र/पुत्री/पत्नी... आयु.....................वर्ष .... (पूरा डाक पता वर्णित करें) का/की निवासी हूं, उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यार्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूं, और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता/करती हूं:—

(1) मैं...............................(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यार्थी हूं/ **एक स्वतंत्र अभ्यार्थी के रूप में लड़ रहा/रही हूं।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम..............................(नगरपालिका/ नगरपरिषद् का नाम) में, भाग संख्या ....में क्रम संख्या...पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे सम्पर्क टेलीफोन नम्बर....................................है/हैं और मेरा ई—मेल आई डी (यदि कोई हो)...है।

(4) मैनें हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 21 के अधीन दी गई निम्न में से कोई अयोग्यता प्राप्त नहीं की है :—

(i) मैं किसी मामले में सिद्धदोष नहीं किया गया हूँ तथा किसी अपराधिक मामले, जिसमें दस वर्ष से कम का कारावास न हो, से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा मेरे विरूद्ध आरोप नहीं लगाये गये हैं।

(ii) मैं किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के मेरी ओर देय किसी प्रकार के ब़कायों का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूं। उक्त संस्था (संस्थाओं) से बेबाकी प्रमाण—पत्र संलग्न है/हैं।

(iii) मैं बिजली बिलों के बकाया का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूं। सम्बन्धित विद्युत उपयोगिता से देय प्रमाण–पत्र संलग्न है।

(iv) मैने किसी मान्यताप्राप्त संस्था/बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास की है।

या

मैने मिडल कक्षा पास की है (किसी महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से सम्बन्धित उम्मीदवार की दशा में)

या

मैने पांचवी कक्षा पास की है (अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिला उम्मीदवार की दशा में, **अध्यक्ष को छोड़कर**)

सम्बन्धित संस्था/बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की सही सत्यापित प्रति संलग्न है।

(v) मेरे निवास स्थान पर कार्यशील शौचालय है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, इसके द्वारा, सत्यापन और घोषणा करता हूं/करती हूं कि इस शपथ–पत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और इसमें से कोई तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आज .... 20........................के ....दिन को................पर सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

टिप्पणः 1 शपथपत्र/घोषणा, नामांकन पत्रों की जांच की तिथि को 10:00 बजे तक दायर किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 2 शपथपत्र पर किसी शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या पब्लिक नोटरी के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणः 3 सभी खाने भरे जाने चाहिए और कोई खाना खाली न छोडें। यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं करनी है, तो या तो ''शून्य'' या ''लागू नहीं होता'', जैसी भी स्थिति हो, वर्णित किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 4 शपथपत्र/घोषणा या तो टंकित या सुपाठयरूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

प्ररूप 2

[देखिए नियम 39(2)]

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

नगरपालिका/ नगरपरिषद् .... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/ नगरपरिषद् ....की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से सदस्य का चुनाव

मैं .... उपर्युक्त निर्वाचन का उम्मीदवार एतद् द्वारा ....पुत्र/पुत्री.. को मतदान केन्द्र संख्या..पर/मतदान के लिए निश्चित स्थान .... पर उपस्थित होने के लिये मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं।

स्थान ....

तिथि .... उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मैं ऐसे रूप में मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं।

स्थान ....

तिथि .... मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मतदान अभिकर्ता की घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएंगे

मैं, एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि मै उपर्युक्त चुनाव में नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 द्वारा वर्जित कोई कार्य नहीं करूंगा।

तिथि ....

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए

तिथि .... पीठासीन अधिकारी

प्ररूप 2क

[देखिए नियम 39क]

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

नगरपालिका/नगरपरिषद् .... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/नगरपरिषद् ....की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से सदस्य का चुनाव

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी

....

....

....

मैं.. उपरोक्त निर्वाचन में उम्मीदवार, इसके द्वारा श्री .... (नाम तथा पता) को उपरोक्त निर्वाचन में आज से अपने निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं।

स्थान..

तिथि.. उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मैं उपरोक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूं।

स्थान ....

दिनांक .... निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप 2ख

[देखिए नियम 39(ख)(2)]

गणना अभिकर्ता की नियुक्ति

नगरपालिका/नगरपरिषद् .... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/नगरपरिषद् ....की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से सदस्य का चुनाव

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी,

....

....

मैं.. उम्मीदवार/**निर्वाचन अभिकर्ता .... जो उपरोक्त निर्वाचन में उम्मीदवार है, इसके द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को .... में मतगणना पर हाजिर रहने के लिए मुझे/उसके **गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं।

गणना अभिकर्ता का नाम	गणना अभिकर्ता का पता
1	
2	
3	
4	
5	
6	
इत्यादि	

स्थान ....
तिथि ....

उम्मीदवार/गणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर**

हम ऐसे गणन अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं।

1
2
3
4
5
6
इत्यादि

स्थान ....
तिथि ....

गणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर

गणना अभिकर्ताओं की घोषणा

(रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

हम, इसके द्वारा, घोषणा करते हैं कि उपरोक्त निर्वाचन में, हम हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 275 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन निषिद्ध कुछ भी नहीं करेंगे। जिसे हमने पढ़ लिया है/हमें पढ़ कर सुना दिया गया है।

1.
2.
3.
4.
5.
6.
इत्यादि

स्थान .... गणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तिथि ....

मेरे सामने हस्ताक्षर किये गये

रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

**अनुपयुक्त विकल्प काट दें।

धारा 275–(1) प्रत्येक प्रत्येक कर्मचारी, अभिकर्ता अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो किसी चुनाव में मतों की रिकार्डिंग अथवा गणना करने के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और किसी व्यक्ति को ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए संगणित कोई सूचना (किसी विधि द्वारा अथवा के अधीन प्राधिकृत कुछ प्रयोजनों के सिवाय) नहीं भेजेगा।

(1क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, वोटिंग मशीन के माध्यम से वोट डालना और उसकी रिकार्डिंग ऐसी रीति में की जा सकती है जैसी राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिका या नगरपालिकाओं में प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के मध्यनजर विनिर्दिष्ट करें ।

व्याख्या .–इस उप–धारा के प्रयोजन के लिए ''वोटिंग मशीन'' से अभिप्राय है, कोई मशीन या उपकरण चाहे इलेक्ट्रोनिक या अन्य किसी माध्यम से वोट डालने और उसकी रिकार्डिंग के लिए प्रयुक्त की जाती हो और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में बैलेट बाक्स या बैलेट पेपर के किसी सन्दर्भ का अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ऐसी वोटिंग मशीन के सन्दर्भ जहां किसी भी चुनाव में ऐसी वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया है, अर्थ लगाया जाएगा।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों का जान बूझकर उल्लंघन करता है, उसे तीन मास की अनधिक अवधि के लिए कारावास अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डीत किया जाएगा।

प्ररूप 3

[देखिए नियम 46(2)ग]

आक्षेप किए गए मतों की सूची

नगरपालिका/नगरपरिषद् .... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/नगरपरिषद् ....की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से सदस्य का चुनाव

मतदान केन्द्र संख्या ....

हस्ताक्षर शीट संख्या ....

प्रविष्टि की क्रम संख्या	मतदाता का नाम	सूची में मतदाता के नाम की क्रम संख्या	आक्षेप किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	आक्षेप किए गए व्यक्ति का पता	पहचानकर्ता यदि कोई हो, का नाम	आक्षेपकर्ता का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	जमा राशि वापिस प्राप्त करने पर आक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

तिथि :...

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 4

[देखिए नियम 53(2)]

नेत्रहीन तथा अशक्त मतदाताओं की सूची

नगरपालिका/ नगरपरिषद् .... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/ नगरपरिषद् ....की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से सदस्य का चुनाव

मतदान केन्द्र की संख्या/मतदान का स्थान ....

सूची में मतदाता का क्रम संख्या	मतदाता का पूरा नाम	साथी का पूरा नाम	साथी का पता	साथी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

तिथि ....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 5

[देखिए नियम 55(2)]

निविदत्त मतों की सूची

नगरपालिका/नगरपरिषद् .... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/ नगरपरिषद् ....की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से सदस्य का चुनाव

मतदान केन्द्र की संख्या/मतदान का स्थान ....

सूची में मतदाता का क्रम संख्या तथा नाम	मतदाता का पता	निविदत मतपत्र की क्रम संख्या	उस व्यक्ति को जारी किए गए मतपर्ची की क्रम संख्या जिसने पहले मतदान कर रखा है	मत डालने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5

तिथि :.......................

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 6

[देखिए नियम–57]

मतपत्र लेखा

नगरपालिका/नगरपरिषद् .... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/नगरपरिषद् ....की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से सदस्य का चुनाव

मतदान केन्द्र की संख्या/मतदान का स्थान ....

			क्रम संख्या	कुल संख्या
(1)	प्राप्त हुये मत पत्र		....	....
(2)	अप्रयुक्त मत पत्र...............................			
	(क)	पीठासीन अधिकारी, यदि कोई हो, के हस्ताक्षर से, तथा		....
	(ख)	पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर के बिना।		....
(3)	मतदाताओं को जारी किए गए मतपत्र			....
(4)	रद्द किए गए मतपत्र............................			
	(क)	मतदान प्रकिया के उल्लंघन के लिए		....
	(ख)	किसी अन्य कारण से		....
(5)	निविदत मतपत्रों के रूप में प्रयुक्त मतपत्र			....
(6)	मतपत्र जो मतपेटी में होने चाहिएं।			....

तिथि.................................

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 7

[देखिए नियम 60(2)]

(मतों की गणना करने के बाद भरा जाएगा)

मतपत्रों की गणना का प्ररूप

नगरपालिका/नगरपरिषद् .... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/ नगरपरिषद् ....की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से सदस्य का चुनाव

मतदान केन्द्र संख्या..

गणना की तिथि ....

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	डाले गये वैध मतों की संख्या
1.	....	....
2.	....	....
3.	....	....
4.	..............................आदि	....

II. रद्द किए गए मतपत्र.................................

III. कुल संख्या

IV. क्या ऊपर मद संख्या III में दर्शाए गये मतपत्रों की संख्या प्ररूप 6 में मद संख्या 6 के सामने दर्शाई गई संख्या से मिलती है या इन दोनों आंकड़ों में कोई विसंगति ध्यान में आ गई है।

तिथि....................................

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 8

[देखिए नियम 62, 69प (2) (ग), 69फ (1), तथा 69(ब)(2)]

गणना किए गए मतपत्रों के समेकन लेखा का प्ररूप

नगरपालिका/नगरपरिषद् .... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/ नगरपरिषद् ....की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से सदस्य का चुनाव

मतदान केन्द्र संख्या	मतपेटी (पेटियों)/ इलैक्टॉनिक मतदान मशीन (मशीनों) में पाये गये कुल मत	निविदत मतों की संख्या	उम्मीदवार के वैध मत								कुल वैध मत	अस्वीकृत मतों की संख्या	**मतों के लिए "नोटा" विकल्प**	वैध तथा अस्वीकृति कुल मत
			क	ख	ग	घ	ड़	च	छ	ज				
1														
2														
3														
4														
5														
इत्यादि														
कुल														

स्थान...

तिथि.. रिटर्निंग अधिकारी''।

प्ररूप 10

[देखिए नियम 50क (1)]

रिटर्निंग अधिकारी को सूचना पत्र

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी,

.... वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र, संख्या..................

नगरपालिका/ नगरपरिषद् ....

महोदय,

मैं नगरपालिका/ नगरपरिषद् .... के अध्यक्ष के चुनाव अथवा नगरपालिका/ नगरपरिषद् ....की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से सदस्य के चुनाव के लिये अपना मतपत्र डाक द्वारा देना चाहता हूं।

मुझे... नगरपालिका/ नगरपरिषद् में... .... वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के .... मतदान केन्द्र (संख्या तथा नाम) पर निर्वाचन डयूटी पर तैनात किया गया है। मेरा नाम .... नगरपालिका/ नगरपरिषद् के ....वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र की कम संख्या .... पर प्रविष्ट है।

मुझे मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजा जाए :–

____

____

____

भवदीय,

स्थान :

तिथि : (....................................)

प्ररूप 11

[देखिए नियम 69 ढ़ (1)]

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

नगरपालिका/ नगरपरिषद् .... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/ नगरपरिषद् ....की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से सदस्य का चुनाव

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी,

....

श्रीमान जी,

मैं उपरोक्त वार्ड के आगामी निर्वाचन में निजी रूप में अपना मत डालना चाहता हूं। मेरा नाम उपरोक्त वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या .... में क्रम संख्या...... ....पर दर्ज है।

मैं वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या ....के मतदान केन्द्र संख्या ....मतदान केन्द्र का नाम .... पर निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात किया गया हूं।

मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे प्ररूप 13 में मतदान ड्यूटी प्रमाण–पत्र मतदान केन्द्र, जहां पर मैं मतदान के दिन मतदान ड्यूटी पर रहूंगा, में मतदान हेतु समर्थ बनाने के लिए जारी किया जाये। यह मुझे निम्नलिखित पते पर भेजा जाये :–

____

____

____

भवदीय,

तिथि :... (आवेदक का नाम)

प्ररूप 12

[देखिए नियम 69छ, 69ज(7), 69ड, 69त(1)(ख) तथा 69भ(1)(ड़), फार्म 18]

मतदाताओं का रजिस्टर

नगरपालिका/नगरपरिषद् .... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/नगरपरिषद् ....की वार्ड/ निर्वाचन–क्षेत्र संख्या .... से सदस्य का चुनाव

मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम ....

मतदाता सूची की भाग संख्या ....

क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या	निर्वाचक के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान	टिप्पणी
1			
2			
3			
4			
5 इत्यादि			

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 13

[देखिए नियम 69ड, 69ढ़(1)(क) तथा 69त(1)(ड़)]

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पुत्री/ पत्नी .... * वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... में निर्वाचक है, उसकी निर्वाचक नामावली संख्या.. है, जोकि उसके निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण वह मतदान केन्द्र, जहां वह मत देने का हकदार है, में मत देने में असमर्थ है और इसलिए इसके द्वारा उसे किसी मतदान केन्द्र में, जहां वह मतदान की तिथि को डयूटी पर हो, मत देने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

स्थान ....

तिथि ....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहर

---

* समुचित ब्योरे दिये जायें।

प्ररूप 14

[देखिए नियम 69ढ(4)(क) तथा (6) (ख) तथा (ग) और प्ररूप 17]

डाक मतपत्र के प्रयोग के लिये निर्वाचक द्वारा घोषणा

(इस तरफ का प्रयोग केवल तब किया जाना है जब निर्वाचक स्वयं घोषणा पर हस्ताक्षर करता है)

नगरपालिका/ नगरपरिषद् .... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/ नगरपरिषद् ....की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से सदस्य का चुनाव

मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूं कि मैं वह निर्वाचक हूं जिसे... क्रम संख्या वाला डाक मतपत्र उपरोक्त निर्वाचन में जारी किया गया है।

तिथि ....

निर्वाचक के हस्ताक्षर

पता ....

....

....

हस्ताक्षर का सत्यापन

उपरोक्त ....(निर्वाचक) द्वारा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप में जानता है/जिसे .... (पहचानकर्ता) द्वारा मेरी सन्तुष्टि के लिए पहचाना है जो व्यक्तिगत रूप में मुझे जानता है।

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर

यदि कोई हो ....

पता ....

....

सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम ....

पता ....

....

तिथि ....

(इस तरफ का तब प्रयोग किया जाना है जब निर्वाचक स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकता)

मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूं कि मैं वह निर्वाचक हूं जिसे.. क्रम संख्या वाला डाक मतपत्र उपरोक्त निर्वाचन में जारी किया गया है।

दिनांक ....

निर्वाचक की ओर से सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्वाचक का पता ....

....

प्रमाणपत्र

मैं, इसके द्वारा, प्रमाणित करता हूं कि. –

(1) उपरोक्त नामित निर्वाचक व्यक्तिगत रूप से मुझे जानता है जिसे .... (पहचानकर्ता) द्वारा मेरी सन्तुष्टि के लिए पहचाना है जो व्यक्तिगत रूप में मुझे जानता है।

(2) मुझे विश्वास है कि निर्वाचक निरक्षर है जो .... (अशक्तता) से पीड़ित है और अपना मत स्वयं अभिलिखित करने में या अपनी घोषणा हस्ताक्षर करने में असमर्थ है।

(3) उसने मुझसे उसकी ओर मतपत्र चिह्नित करने और उपर्युक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने की प्रार्थना की थी।

(4) मैंने उसकी उपस्थिति में और उसकी इच्छा के अनुसार उसकी ओर से मतमत्र चिह्नित और घोषणा हस्ताक्षरित की थी।

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर

यदि कोई हो ....

पता ....

....

सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम ....

पता ....

....

तिथि ....

प्ररूप 15

[देखिए नियम 69ढ(4) (ख) तथा (6) (क)**]**

लिफाफा ''क''

गणना से पूर्व नहीं खोला जाना है

नगरपालिका / नगरपरिषद् .... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका / नगरपरिषद् ....की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से सदस्य का चुनाव

डाक मतपत्र

डाक मतपत्र की क्रम संख्या..

प्ररूप 16
[देखिए नियम 69ढ 4(ग)]

बड़ा लिफाफा ''ख''

नगरपालिका / नगरपरिषद् .... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका / नगरपरिषद् ....की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से सदस्य के चुनाव में प्रयोग किया जाये।

लिफाफा ''ख'' सरकारी बिना टिकट

प्रत्येक अधिकारी जिसकी देखरेख में या जिसके द्वारा डाक मतपत्र भेजा जाता है वह अविलम्ब पते पर इसका वितरण सुनिश्चित करेगा। {नियम 50क (4)}

निर्वाचन–अविलम्ब

डाक मतपत्र

नगरपालिका / नगरपरिषद् .... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका / नगरपरिषद् ....की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से सदस्य के चुनाव के लिये।

(गणना से पूर्व नहीं खोला जाना है)

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी
** ....
....
....

भेजने वाले के हस्ताक्षर...
....
....

** रिटर्निंग अधिकारी यहां पर पूरा पता वर्णित करें।

प्ररूप 17

[देखिए नियम 69ढ (4)(घ) तथा (6)(क) तथा (ग) तथा 69ब(1)]

डाक मतपत्र का प्रयोग करने के लिए निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए हिदायतें

नगरपालिका/नगरपरिषद् .... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/ नगरपरिषद् ....की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से सदस्य का चुनाव

व्यक्ति जिन के नाम इसके साथ भेजे गये मतपत्र पर मुद्रित हैं वे उपरोक्त निर्वाचन में उम्मीदवार हैं। यदि आप मत देना चाहते हो तो आप नीचे भाग–I में दिये गये निदेशों के अनुसार अपना मत अभिलिखित करेंगे तथा तब भाग– II में विस्तृत हिदायतों का अनुसरण करेंगे।

भाग– I

निर्वाचकों के लिए हिदायतें

1. निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है।

2. आपका केवल एक मत है।

3. आपको एक से अधिक उम्मीदवार के लिए मत नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

4. उम्मीदवार जिसको आप अपना मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने स्पष्ट रूप से चिह्न लगाते हुये मत अभिलिखित करें।

5. चिह्न इस प्रकार लगाया जाएगा जो उम्मीदवार जिसको आप अपना मत दे रहे हैं को स्पष्ट रूप से सूचित करें तथा सन्देह के परे हो। यदि चिह्न इस प्रकार लगया गया है जो उम्मीदवार जिसको आपने अपना मत दिया है को सन्देहपूर्ण बनाता है तो आपका मत अवैध हो जाएगा।

6. चिह्न जो मतपत्र पर आपको पैरा 4 के अनुसार उस पर करने अपेक्षित हैं, के सिवाय अपने हस्ताक्षर न करें या कोई शब्द न लिखें या कोई चिह्न न लगाएं, हस्ताक्षर या लिखित में कुछ भी ना करें।

7. निर्वाचक प्ररूप–14 में घोषणा पर अपने हस्ताक्षरों का सत्यापन मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से करवाएगा, यदि वह निर्वचान डयूटी पर है तो किसी राजपत्रित अधिकारी से या मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी से जिस में वह निर्वाचन डयूटी पर है।

भाग– II

निर्वाचकों के लिए हिदायतें

(क) आपको मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात मतपत्र को इसके साथ भेजे गये ''क'' चिह्नित छोटे लिफाफे में रखे। लिफाफे को बन्द कर दें और उसे मोहर लगाकर या अन्यथा सुरक्षित कर दें।

(ख) इसके उपरान्त आप इसके साथ भेजी गई प्ररूप–14 में घोषणा भी मजिस्ट्रेट या किसी अन्य अधिकारी जो आपके हस्ताक्षर सत्यापन करने में सक्षम हो (देखिए उपरोक्त हिदायतें 7) की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हैं। घोषणा ऐसे अधिकारी के पास ले जाएं और उसकी आपकी पहचान के बारे में सन्तुष्टि होने के बाद उसकी उपस्थिति में इसे हस्ताक्षर करें। अधिकारी घोषणा पर आपके हस्ताक्षर सत्यापित करेगा तथा आपको लौटाएगा। आपको अपना मतपत्र तसदीक अधिकारी को ना तो दिखाना है और न ही उसे बताना है कि आपने किस प्रकार मत दिया है।

(ग) यदि आप निक्षरता, अन्धेपन या अन्य अशक्तता के कारण उपरोक्त सूचित रीति में स्वयं मतपत्र चिह्नित करने और अपनी घोषणा हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं तो आप मद (ख) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आपकी ओर से आपका मत चिह्नित करने और घोषणा हस्ताक्षरित करने के लिये हकदार हैं। ऐसा अधिकारी आपकी प्रार्थना पर आपकी उपस्थित में और आपकी इच्छा के अनुसार मतपत्र को चिह्नित करेगा। वह इस निमित आवश्यक प्रमाण–पत्र भी पूरा करेगा।

(घ) आपकी घोषणा हस्ताक्षरित किए जाने और आपके हस्ताक्षर मद (ख) या मद (ग) के अनुसार अनुप्रमाणित किए जाने के पश्चात प्ररूप–14 में घोषणा, मतपत्र अन्तर्विष्ट करने वाले ''क'' चिह्नित छोटे लिफाफे, ''ख'' चिह्नित बड़े लिफाफे में रखे। बडे लिफाफे को बंद करने के पश्चात उसे डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को भेज दें। आपको चिह्नित लिफाफे पर उपलब्ध स्थान पर पूरे हस्ताक्षर करने हैं। आप द्वारा कोई भी डाक टिकट लगानी आवश्यक नहीं है।

(ङ) आप सुनिश्चित कर लें कि लिफाफा चुनाव अधिकारी के पास.....................................** को............... बजे से पूर्व पहुंच जाए।

(च) कृपया यह भी ध्यान रखें कि :–

(i) यदि आप अपनी घोषणा उपरोक्त निर्दिष्ट रीति में अनुप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं, तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा ; तथा

(ii) यदि लिफाफा रिटर्निंग अधिकारी के पास...को.................बजे के पश्चात पहुंचेगा तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी।

** यहां मतगणना के प्रारंभ के लिए नियत समय और तिथि विनिर्दिष्ट करें।

प्ररूप 18

[देखिए नियम 69थ (1), 69 द(1) (ii), 69प (2) (क) तथा (ख), 69फ (1)]

भाग I – अभिलिखित मतों का लेखा

नगरपालिका/नगरपरिषद् .... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/ नगरपरिषद् ....की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से सदस्य का चुनाव

मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम..

मतदान केन्द्र पर प्रयोग की गई मतदान मशीन की पहचान संख्या

नियंत्रण यूनिट..

मतदान यूनिट..

1. मतदान केन्द्र के नियत निर्वाचकों की कुल संख्या..........................
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 12) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या......................
3. **"उपरोक्त में से कोई नहीं " के लिये मतदाताओं की कुल संख्या ....**
4. नियम 69छ या 69ज के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या।
5. मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या.................. ।
6. क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2–4 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या से मेल खाती है या इसमें कोई विसंगति पाई गई है (हां या नहीं) ।
7. उन मतदाताओं की संख्या जिनको निविदत मतपत्र नियम 55 के अधीन जारी किए गए थे।
8. निविदत मतपत्रों की संख्या।

   क्रम संख्या

   ....से...तक

   (क) प्रयोग के लिए प्राप्त......................................

   (ख) निर्वाचकों को जारी किए गए.............................

   (ग) प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए..............

9. कागज की सीलों का लेखा

   क्रम संख्या

   ....से .... तक   मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

1. दी गई कागज की सीलों 1..

की क्रम संख्या .... से .... तक 2..

2. दी गई सीलों की कुल संख्या 3..

3. प्रयुक्त कागज की सीलों की संख्या 4. ....

4. रिटर्निंग अधिकारी को वापस की 5. ....

गई अप्रयुक्त कागज की सीलों की 6. ....

संख्या (मद 2 से मद 3 निकाल दें) 7. ....

5. नष्ट हुई कागज की सीलों की क्रम

संख्या, यदि कोई है।

तिथि .... पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान................................... मतदान केन्द्र संख्या......................

भाग II—मतगणना का परिणााम

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	अभिलिखित मतों की संख्या
1	क	
2	ख	
3	.....	
4	.....	
5	उपरोक्त में से कोई नहीं	
....		
कुल		

क्या उपरोक्त दर्शाए गए मतों की कुल संख्या भाग I की मद संख्या 5 के सामने दर्शाए गए मतों की कुल संख्या से मेल खाती हैं या दोनों योगों में कोई विसंगति ध्यान में आई है।

स्थान.................................

तिथि .... गणना पर्यवेक्षक/ पीठासीन अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर

उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिकर्ताओं के नाम

1
2
3
4
5
6
7
8
....

....

रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर ''।

वी.उमाशंकर
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।